



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.आर.-अ.-22092026-276387
CG-TR-E-22092026-276387

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 547]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2026/भाद्र 17, 1948

No. 547]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/BHADRA 17, 1948

त्रिपुरा विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

अधिसूचना

त्रिपुरा, 28 अगस्त, 2026

अनुसूची

(त्रिपुरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 30)

त्रिपुरा विश्वविद्यालय की संविधि

संविधि 12क में संशोधन (1)

त्रिपुरा विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के गठन के संबंध में

अधिसूचना क्र.एफ.टी.यू/रजि./मिस./01/2026.—

संक्षिप्त शीर्षक:

इसे कार्य परिषद, त्रिपुरा विश्वविद्यालय के गठन के संबंध में कानून 12 ए (1) में संशोधन कहा जा सकता है, जैसा कि भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 14.05.2025 के पत्र F.No.18-22/2025-CU द्वारा सूचित किया गया है।

1. त्रिपुरा विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के गठन के संबंध में संविधि 12 ए (1) में संशोधन:

जैसा कि वर्तमान में है

12क (1) कार्यकारी परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:

(i) कुलपति, पदेन

(ii) समकुलपति, यदि कोई हो, पदेन

(iii) वरिष्ठता के अनुसार बारी-बारी से प्रत्येक संकाय से दो संकायाध्यक्ष

(iv) वरिष्ठता के अनुसार संकायाध्यक्ष के अतिरिक्त एक प्राध्यापक क्रमिक आधार पर जिन्हे कुलपति द्वारा नामित किया जाना है

(v) उच्च शिक्षा सचिव, त्रिपुरा सरकार

(vi) त्रिपुरा विश्वविद्यालय कोर्ट के दो सदस्य, जिन्हें कुलाध्यक्ष(विजिटर) द्वारा नामित किया जाना है, जिनमें से कोई भी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या संस्थान का कर्मचारी नहीं होगा

(vii) कुलाध्यक्ष(विजिटर) द्वारा नामित किए जाने वाले तीन व्यक्ति

(viii) शून्य

संशोधन के बाद शामिल किया जाना है

12क (1) कार्यकारी परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:

(i) कुलपति, पदेन

(ii) समकुलपति, यदि कोई हो, पदेन

(iii) दो संकायाध्यक्ष, संकायों (विज्ञान/गैर-विज्ञान) के प्रत्येक समूह से एक, वरिष्ठता के अनुसार क्रमिक आधार पर

(iv) वरिष्ठता के अनुसार संकायाध्यक्ष के अतिरिक्त एक प्राध्यापक क्रमिक आधार पर जिन्हे कुलपति द्वारा नामित किया जाना है

(v) उच्च शिक्षा सचिव, त्रिपुरा सरकार

(vi) त्रिपुरा विश्वविद्यालय कोर्ट के दो सदस्य, जिन्हें कुलाध्यक्ष(विजिटर) द्वारा नामित किया जाना है, जिनमें से कोई भी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या संस्थान का कर्मचारी नहीं होगा

(vii) कुलाध्यक्ष(विजिटर) द्वारा नामित किए जाने वाले तीन व्यक्ति

(viii) सचिव (उच्च शिक्षा), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार या उसका नामित (पदेन सदस्य)

प्रो. समीर कुमार सिल, रजिस्ट्रार (प्रभारी)

[विज्ञापन-III/4/असा./316/2026-27]

TRIPURA UNIVERSITY

(Central University)

NOTIFICATION

Tripura, the 28th August, 2026

SCHEDULE

(Section 30 of Tripura University Act, 2006)

The Statutes of Tripura University

Amendment in Statute 12A (1)

regarding the Constitution of the Executive Council of Tripura University

Notification No. F.TU/REG/MISC/01/2026.—

Short Title:

This may be called the Amendment in Statute 12A (1) regarding the Constitution of the Executive Council, Tripura University as communicated by the Govt. of India, Ministry of Education, Department of Higher Education, New Delhi vide letter F.No.18-22/2025-CU.I, dated 14.05.2025

1. Amendment in Statute 12A (1), regarding the Constitution of the Executive Council of Tripura University:

As existing

12A (1) The Executive Council shall consist of the following members, namely:

- (i) Vice-Chancellor, Ex-Officio
- (ii) Pro-Vice-Chancellor, if any, Ex-officio
- (iii) Two Deans, one from each faculty, by rotation according to seniority**
- (iv) One Professor, other than a Dean by rotation according to seniority, to be nominated by the Vice-Chancellor
- (v) Secretary of Higher Education, Govt. of Tripura
- (vi) Two members of the Court, to be nominated by the Visitor, none of whom shall be an employee of the University or a college or an Institution affiliated to or recognized by the University
- (vii) Three persons to be nominated by the Visitor
- (viii) Nil**

To be inserted after amendment

12A (1) The Executive Council shall consist of the following members, namely:

- (i) Vice-Chancellor, Ex-Officio
- (ii) Pro-Vice-Chancellor, if any, Ex-officio
- (iii) Two Deans, one from each group of Faculties (Science/Non-science), by rotation according to seniority**
- (iv) One Professor, other than a Dean by rotation according to seniority, to be nominated by the Vice-Chancellor
- (v) Secretary of Higher Education, Govt. of Tripura
- (vi) Two members of the Court, to be nominated by the Visitor, none of whom shall be an employee of the University or a college or an Institution affiliated to or recognized by the University
- (vii) Three persons to be nominated by the Visitor
- (viii) The Secretary (Higher Education), Ministry of Education, Govt. of India or his/her nominee (Ex-officio Member)**

Prof. SAMIR KUMAR SIL, Registrar (i/c)

[ADVT.-III/4/Exty./316/2026-27]